उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ

आदेश पत्रक

परमिशन अपील वाद संख्या– 120/2023

सुर्यदेव बेदिया बनाम् नवपति देवी वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01/11/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी सुर्यदेव बेदिया, पिता–रामदयाल बेदिया, ग्राम–घुटुवा, थाना–पतरातू, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय मे दायर परमिशन वाद संख्या– 36/2020–21 राथो बेदिया वगै० बनाम् नवपति देवी में दिनांक–03.06.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215 of C.N.T Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा घुटुवा, थाना नं०–59 थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के खाता नं०–64, प्लॉट सं०–1316 हाल सर्वे खाता सं०–208/क प्लॉट सं०–2367/2818 मध्ये रकबा–0.36 ए०, खाता सं०–208/क प्लॉट सं०–2360/2819 मध्ये रकबा–0.24 ए०, खाता सं० 67/क प्लॉट सं०–2616 मध्ये रकबा 0.10 ए०, कुल मध्ये रकबा–0.70 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी का कहना है कि मौजा–घुटुवा, थाना नं०–59 थाना पतरातू, खाता नं०–64, प्लॉट सं०–1314 रकबा–24 डी०, प्लॉट सं०–1316 रकबा–36 डी० वो प्लॉट सं० 1310 रकबा–8½ कुल रकबा–70 डी० भूमि दखल कब्जा में अपीलार्थी के चला आता है। इसमें विपक्षी नं० 2 एवं 3 का प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा दखल नहीं है। विपक्षी नं०–2 एवं 3 के पिता–स्व० चोरटा महतो प्रश्नगत भूमि मौजा–घुटुवा, थाना नं० 59 थाना वो अंचल पतरातू, जिला–रामगढ़ खेवट नं० 1, तौजी नं०–28, खाता नं०–64, प्लॉट सं०–1316 रकबा–36 डी०, प्लॉट सं०–1314 रकबा–24 डी० वो प्लॉट सं०–1334 रकबा–10 कुल रकबा 70 डी० भूमि अपीलार्थी के दादी के नाम गियासो देवी पति झरी बेदिया के नाम निबंधित पट्टा कर दिया है। जिसका दस्तावेज नं०–5387, सन् 1973 ई० मो० गोला है। जिसके संबंध में राथो बेदिया के पिता–स्व० चोरटा बेदिया कबुल किया है कि उक्त भूमि गियासो देवी का है। गलती से हमारे पूर्वज का नाम खतियान में दर्ज हो गया था। लेकिन हमलोग कभी भी प्रश्नगत खाता नं० 64 के कुल रकबा 3.50 ए० भूमि	

4

से दखलकार नहीं है। प्रश्नगत भूमि का विधिवत् दाखिल खारिज होकर रसीद पियासो देवी के नाम से निर्गत है तथा जमाबंदी पंजी-II के पेज नं० 116/3 में नाम प्रविष्ट है। अपीलार्थी पियासो देवी के वैध वंशज एवं उत्तराधिकारी है। विपक्षी नं०-2 एवं 3 के द्वारा विपक्षी नं०-1 नवपति देवी के साथ भूमि बिक्री करने का परमिशन आवेदन दायर किया है। जिसमें मौजा-घुटुवा, थाना नं०-59 थाना वो अंचल पतरातू के अंदर खाता नं० 64, हाल खाता नं०-208(क) प्लॉट नं०-2367/2818 रकबा-36 डी० वो प्लॉट नं०-1314 हाल प्लॉट नं०-2360/2819 रकबा-24 डी० वो खाता नं०-64(क) प्लॉट नं० 1234 हाल प्लॉट नं०-2616 रकबा 10 डी० कुल रकबा-70 डी० बिक्री करने के लिए दाखिल किया है। जिसके अंचल अधिकारी, पतरातू ने परमिशन आवेदनपत्र में वर्णित भूमि का जाँच नहीं कर अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि प्लॉट नं०-1314 रकबा-24 डी०, प्लॉट नं०-1316 रकबा 36 डी० कुल रकबा-70 डी० वो प्लॉट नं० 1234 रकबा 10 डी० प्लॉट नं०-1234 हाल प्लॉट नं० 2616 रकबा-10 डी० भूमि बिक्री करने का अनुशंसा कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। परमिशन वाद संख्या-36/2020-21 मे दिनांक 22.02.2023 में अपीलार्थी के द्वारा आपत्तिपत्र भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के पास दायर किया। लेकिन अपीलार्थी के सुनवाई का मौका दिये बगैर भूमि बिक्री का परमिशन का आदेश कर दिया गया, जो विधि के दृष्टि से दोषपूर्ण है।

उक्त के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करने एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-घुटुवा, थाना नं0-59, थाना-रामगढ़ हाल थाना-पतरातू अंतर्गत खाता नं0-64, प्लॉट नं0-1316 रकबा-36 डी०, प्लॉट नं0-1314 रकबा-24 डी०, प्लॉट नं0-1234 रकबा-10 डी० कुल रकबा-70 डी० भूमि उत्तरवादी क्रमांक दो व तीन की खरीदगी भूमि है जिसे उक्त उत्तरवादी के दादी मोसोमात सालो ने निबंधित केवाला विलेख के मार्फत क्रय कर हासिल किया था। मौजा-घुटुवा, अंतर्गत खाता नं0-64 के भिन्न-भिन्न प्लॉटों में उत्तरवादी क्रमांक दो व तीन की दादी मोसोमात सालो तथा नेवालाल बेदिया ने कुल रकबा-18.83 एकड़ (अठारह एकड़ तिरासी डीसमील) भूमि को उक्त भूमि के वास्तविक स्वामी सह खाता सं0-64 के खतियानी रैयत सुखलाल बेदिया वल्द गणेश बेदिया साकिन घुटुवा से भूमि का वाजिब मूल्य अदा कर निबंधित केवाला सं०-1009 दिनांक-12.04.1929 ई० के मार्फत क्रय कर हासिल किया है। मोसोमात सालो एवं नेवालाल बेदिया उपरोक्त वर्णित खाता नं0-64 में कुल रकबा-18.83 एकड़ (अठारह एकड़ तिरासी डीसमील) भूमि को संयुक्त रूप से क्रय करने के उपरांत कालांतर में कुल खरीदगी भूमि का बंटवारा आपस में कर लिया तथा अपने-अपने हिस्से की भूमि का उपयोग-उपभोग अपने मन मुताबिक करने लगे तथा जीवन भर दखलकार रहे।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में आपत्तिकर्ता द्वारा परमिशन वाद सं० 36/2020-21 सभो बेदिया वगैरह बनाम नवपति देवी ने बतौर आपत्तिकर्ता दावा प्रस्तुत किया गया। परन्तु आपत्तिकर्ता की ओर से प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी भिन्न-भिन्न न्यायालय में अपनी दादी पियासो देवी, पति झरी बेदिया के नाम

बाजीदावानामा के आधार पर प्रश्नगत भूमि से संबंधित निष्पादित होने का हवाला देकर उक्त भूमि के साथ साथ कुल 3.50 एकड़ भूमि पर दावा करते हैं जबकि माननीय न्यायालय इस बात से भलि–भांति अवगत है कि किसी भी बाजीदावानामा विलेख को भूमि हस्तानान्तरण संबंधित वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। बाजीदावानामा विलेख बनावटी, जाली एवं फर्जी है। उक्त फर्जी वो बनावटी बाजीदावानामा विलेख के आधार पर अपीलार्थी ने मौजा–घुटुवा, अंतर्गत खाता नं0–64 की कुल–3.50 एकड़ भूमि की जमाबन्दी फर्जी तरीके से राजस्व पंजी–II के पृष्ठ सं०–116/III में कायम करवा लिये थे जिसकी जानकारी उत्तरवादी क्रमांक दो के पुत्र प्रकाश बेदिया को होने पर इन्होंने एक आपत्ति आवेदन अंचल अधिकारी, पतरातू के समक्ष दायर किया जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, पतरातू ने एक विविध वाद प्रारंभ किया जिसका वाद सं0–43/2022 प्रकाश बेदिया बनाम् रामदयाल बेदिया वगैरह है। उपरोक्त विविध वाद जो अपीलार्थी के विरूद्ध चलाया गया उसमें यह स्पष्ट हो गया कि अपीलार्थी की दादी पियासो देवी के नाम पृष्ठ सं०–116/III में कायम जमाबन्दी का पृष्ठ अन्य सभी पृष्ठों से भिन्न है तथा अन्य सभी पृष्ठों के लिखावट से भिन्न है। फलतः अंचल अधिकारी, पतरातू ने अपीलार्थी के दादी के नाम कायम फर्जी जमाबन्दी को स्थगित कर दिया। अंचल अधिकारी, पतरातू के उपरोक्त जमाबन्दी स्थगित आदेश के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा कोई अपील आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। अपीलार्थी को इस बात का आभाष था कि पियासो देवी के नाम पृष्ठ सं०–116/III में कायम जमाबन्दी फर्जी है इसलिए उक्त फर्जी बाजीदावानामा विलेख के सहारे अपीलार्थी ने ऑनलाईन दाखिल खारिज आवेदन वाद सं०–174R27/2017–18 प्रस्तुत किया गया। अंचल अधिकारी, पतरातू ने अपीलार्थी के दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। अंचल अधिकारी, पतरातू के अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने एक अपील आवेदन न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के समक्ष दायर किया जिसका अपील वाद सं०–05/2017–18 सूर्यदेव बेदिया बनाम् अंचल अधिकारी, पतरातू है। उपरोक्त अपील वाद में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ ने वाद अभिलेख को वापस करते हुए पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने का आदेश अंचल अधिकारी, पतरातू को दिया। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, पतरातू ने पुनः सुनवाई कर पूर्व के आदेश को यथावत् रखा क्योंकि अपीलार्थी भूमि हस्तानान्तरण वो भूमि अर्जित करने के संबंध में कोई भी दस्तावेज समर्पित नहीं किये। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा पुनः सुनवाई किये जाने तथा अपीलार्थी के दाखिल खारिज आवेदन को पुनः अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् अपीलार्थी ने अपील आवेदन सक्षम न्यायालय में समर्पित नहीं किया जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी का दावा फर्जी एवं निराधार है। अपीलार्थी केवल उत्तरवादी सं० एक नवपति देवी से अवैध धन उगाही करने के नियत से श्रीमान् के न्यायालय में वर्तमान अपील वाद दायर किये हैं जिसे अस्वीकृत किया जाना अथवा खारिज किया जाना विधि सम्मत है। वर्तमान पुनरीक्षण स्तर में भी उत्तरवादी क्रमांक दो व तीन के हित में बन्दा पर्चा निर्गत किया गया है।

उक्त के आलोक में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किये जाने एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़

द्वारा परमिशन वाद सं0 36/2020-21 ई0 में पारित किये गये आदेश को यथावत् रखने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि यह मामला अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि बाजीदावानामा के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते हैं जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते हैं। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों एवं लिखित अभिकथन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि बाजीदावानामा के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते हैं जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त होने का दावा करते हैं। जहाँ निबंधित दस्तावेज उपलब्ध है, वैसी परिस्थिति में बाजीदावानामा को परमिशन वाद का आधार नहीं बनाया जा सकता है। पूर्व में भी प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत दाखिल खारिज आवेदन को अंचल अधिकारी, पतरातू एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विधि-सम्मत आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan
01/11/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan
01/11/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.12.21 15:53:54 +05:30
Location: 192.168.112.197